न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ) शिवगंज जिला सिरोही

बइजलास पीठासीन अधिकारी भागीरथ राम, आर0ए0एस0

प्रार्थीगण — बनाम — **अप्रार्थीगण**

प्रार्थीगण

1.चैलसिह पुत्र प्रतापसिह
2.भंवरकुवर पुत्र चैलसिह
जाति राजपूत निवासी अरठवाडा

बनाम

अप्रार्थीगण

1.मोहन सिह पुत्र भोमसिह
2.हडवन्त सिह पुत्र भोमसिह
3.वचन सिह पुत्र भोमसिह
4.गोपाल सिह पुत्र भोमसिह जातियान राजपूत निवासीगण अरठवाडा
5.चन्द्रकंवर पुत्री भोमसिह पत्नि नरेन्द्रसिह जाति राजपूत नि.अरठवाडा
6.कुन्दनसिह पुत्र कानसिह राजपूत निवासी अरठवाडा तहसील शिवगंज
7.जरिये तहसीलदार शिवगंज

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मु.स0 10/2020
दिनांक 23–12–2020

आदेश

उपरोक्त अनवान प्रकरण में प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी एंव कब्जा काश्त की कृषि आराजी सरहद मौजा अरठवाडा तहसील शिवगंज में खसरा नम्बर 449/2 रकबा 41–14 बीघा स्थित है। प्रार्थीगण उक्त राजस्व खातेदारी भूमि मे कृषि कार्य करने हतु जाने आने के लिये अप्राथीगण संख्या 1 ता 5 के मालिकान हक काबिज काश्त भूमि खसरा नम्बर 450 कृषि भूमि मे जो डामर संडक से प्रवेश कर जाते थे तथा इस आराजी मे स्थित माठ से किनारे किनारे बना बतौर रास्ता से अपने पूर्वजो के समय से कृषि कार्य करने हेतु आने जाने के लिये काम मे ले रहे है। अप्रार्थी संख्या 6 कुन्दनसिह की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 449/1 रकबा 41.41 बीघा है जिसमे से पूर्वी दिशा की माठ के किनारे किनारे से प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि मे आने जाने हेतु रास्ता का उपयोग ले रहे है जिसे अप्रार्थी संख्या 6 कुन्दनसिह ने किनारे से 15 फीट चौडा रास्ता दिये जाने पर कोई आपत्ति नही की तथा आपसी समझौता के अनुसार रास्ता के तौर पर उपयोग की जाने वाली भूमि के बदले किसी भी तरह का प्रतिफल नही लेने हेतु सहमत होकर एक समर्पण विलेख भी निष्पादित किया है जो प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। प्रार्थीगण को उक्त भूमि मे जाने हेतु अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नही है।

अतः प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि मौजा अरठवाडा के खसरा नम्बर 442/2 रकबा 41.14 बीघा भूमि मे जाने हेतु अप्रार्थीगण 1 से 5के खसरा नम्बर 450 व अप्रार्थी संख्या 6 के खसरा नम्बर 449/1 की राजस्व भूमि मे से होकर अरठवाडा से भैव जाने वाली डामर संडक से खसरा नम्बर 450 के मध्य स्थित माठ व खसरा नम्बर 449/1 के पूर्वी दिशा की माठ के किनारे किनारे उत्तर दिशा की तरफ प्रस्तुत नक्शे अनुसार 15 फीट चौडा रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रेकर्ड मे रास्ते के तौर पर दर्ज करने के आदेश तहसीलदार शिवगंज को जारी करावे तथा अप्रार्थी संख्या 6 को उसकी सहमति के अनुसार उक्त भूमि के बदले प्रतिकर दे का आदेश प्रदान करावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2021.01.22 15:47:12 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दिनांक [illegible] जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये एंव अप्राथी [illegible]ज को मौका जॉच [illegible] पत्र जारी किया गया अप्रार्थी संख्या एक की मृत्यु हो चुकी है तथा अप्रार्थीगण संख्या [illegible] चार की और से वकिल कान्तिलाल परिहार ने वकालातनामा पेश कर प्रार्थी द्वारा चाही गई जगह से रास्ता प्रदान नही कर अन्य स्थान पर खसरा नम्बर 450 की माठ के किनारे किनारे रास्ता दिये जाने हेतु निवेदन किया है।

उपखण्ड अधिकारी
शिवगंज (सिरोही)

Scanned with CamScanner

पेज संख्या–2

अप्रार्थी संख्या 7 तहसीलदार शिवगंज ने मौका जॉच रिपोर्ट मय दस्तावेज पेश किये जा शामिल मिसल की गई। वकील अप्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 2 ता 5 की और से जवाब एंव आपत्ति पेश की गई दिनाक 23.12.2020 को अप्रार्थी अधिवक्ता ने एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीगण एक के खसरा नम्बर 448/1 व खसरा नम्बर 452 के लिये अप्रार्थीगण स्वेच्छापूर्वक अपने खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 450 मे से रास्ता छोडते है जिसमे से प्रार्थीगण आवागमन कर सकते है। प्रार्थीगण सुविधा के लिये नजदीकी रास्ते की माग नही कर सकते है, रास्ते हेतु खसरा नम्बर 450 मे से भूमि संमर्पण होने से प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र का कोई अस्तित्व नही है अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे। उभय पक्षकार अधिवक्ता की बहस को सुनी गई

पत्रावली प्रार्थना पत्र तथा तहसीलदार शिवगंज की मौका जॉच व मौका फर्द रिपोर्ट मय नजरी नक्शा तथा वकील अप्रार्थीगण की और दिनाक 23.12.2020 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया गया जिसके अनुसार अप्रार्थी संख्या 6 कुन्दनसिह ने अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 449/1 मे से पूर्व चालू रास्ता को बिना प्रतिफल के 15 फीट चौडा रास्ता आपसी समझौता से दिये जाने हेतु इकरार किया है तथा अप्रार्थी संख्या 2 से 5 की और से अधिवक्ता द्वारा पेश प्रार्थना पत्र मे भी अप्रार्थीगण ने खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 450 मे से 15 फीट चौडा रास्ता भूमि खसरा नम्बर 448 व 452 मे जाने हेतु स्वेच्छा से समर्पण कर नजरी नक्शा पेश किया जिसके अनुसार अप्रार्थीगण 1 ता 5 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 450 मे प्रदर्शित लाल रंग बिन्दु **ए से ई** तथा अप्रार्थी संख्या 6 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 449/1 मे प्रदर्शित नीला रंग बिन्दु **ई से एफ** रास्ता भूमि है।

अतः प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 449/2 व अप्रार्थीगण की सयुक्त राजस्व भूमि के खसरा नम्बर 452 मे जाने हेतु अप्रार्थीगण 1 ता 5 ने खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 450 मे से 2–08 बीघा भूमि को रास्ता हेतु स्वेच्छा से समपर्ण करने पर तहसीलदार शिवगंज ने राजस्थान काश्तकारी अधि0 की धारा 55 के तहत स्वीकार कर आदेश संख्या 5043–45 दिनाक 23.12.20 पारित किया है जो संलग्न नजरी नक्शा मे बिन्दु ए से ई लाल रगं से प्रदर्शित है तथा अप्रार्थी संख्या 6 कुन्दनसिह ने आपसी सहमति इकरारनामा दिनाक 6.6.2020 अनुसार बिना प्रतिफल राशि से रास्ता हेतु भूमि देने का इकरार किया है जो प्रस्तुत नजरी नक्शा मे बिन्दु ई से एफ रग नीला से प्रदर्शित है। प्रकरण मे अन्य कोई कार्यवाही एंव वसूली राशि शेष नही रहने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र उभय पक्षकार राजीनामा के आधार पर स्वीकार किया जाता है। **तहसीलदार शिवगंज को अप्रार्थी संख्या 6 कुन्दनसिह पुत्र कानसिह जाति राजपूत निवासी की उपरोक्त खसरा नम्बर की खातेदारी भूमि 449/1 मे से सहमति अनुसार प्रस्तुत नजरी नक्शा एनेक्चर–1 मे बिन्दु संख्या ई से एफ तक 15 फीट चौडा रास्ता अर्थात 6496 वर्ग फीट भूमि को बिना प्रतिफल के दिये जाने से प्रार्थी संख्या 6 की खातेदारी मे से कम की जाकर रास्ता भूमि को राजस्व रेकर्ड में किस्म गैर मुमकिन सार्वजनिक रास्ता एवम खसरा नम्बर 450 मे से समर्पित रकबा 2–08 बीघा को गैर मूमकिन सार्वजनिक रास्ता के रूप मे दर्ज करने के आदेश दिये जाते है।** आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 23.12.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2021.01.22 15:47:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
शिवगंज
उपखण्ड अधिकारी
शिवगंज (सिरोही)

क्रमांक/2020/606 दि 23.12.20

प्रतिलिपिःपालनार्थः–
1. तहसीलदार शिवगंज

उपखण्ड अधिकारी
शिवगंज
उपखण्ड अधिकारी
शिवगंज (सिरोही)

Scanned with CamScanner

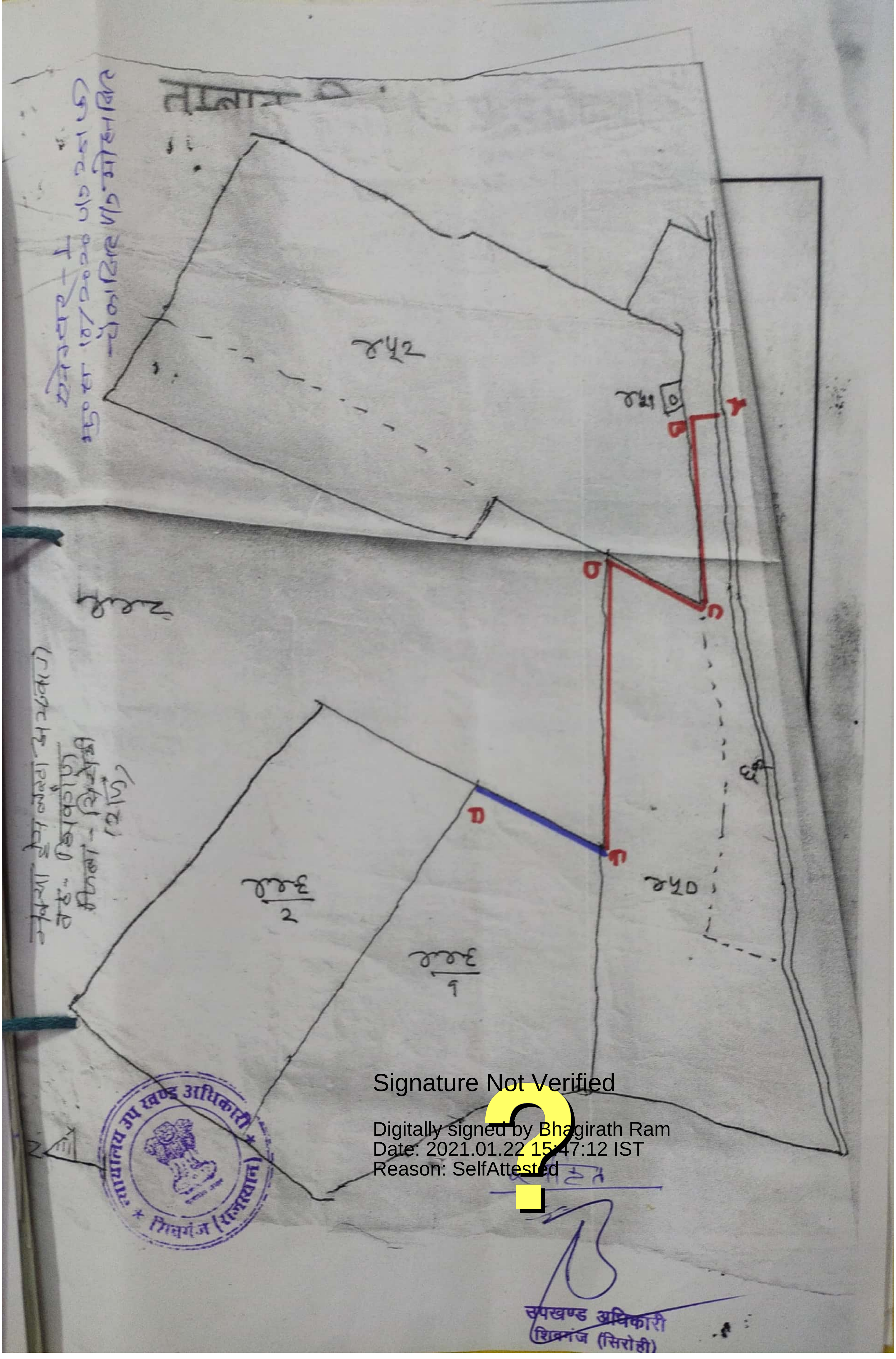

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2021.01.22 15:47:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

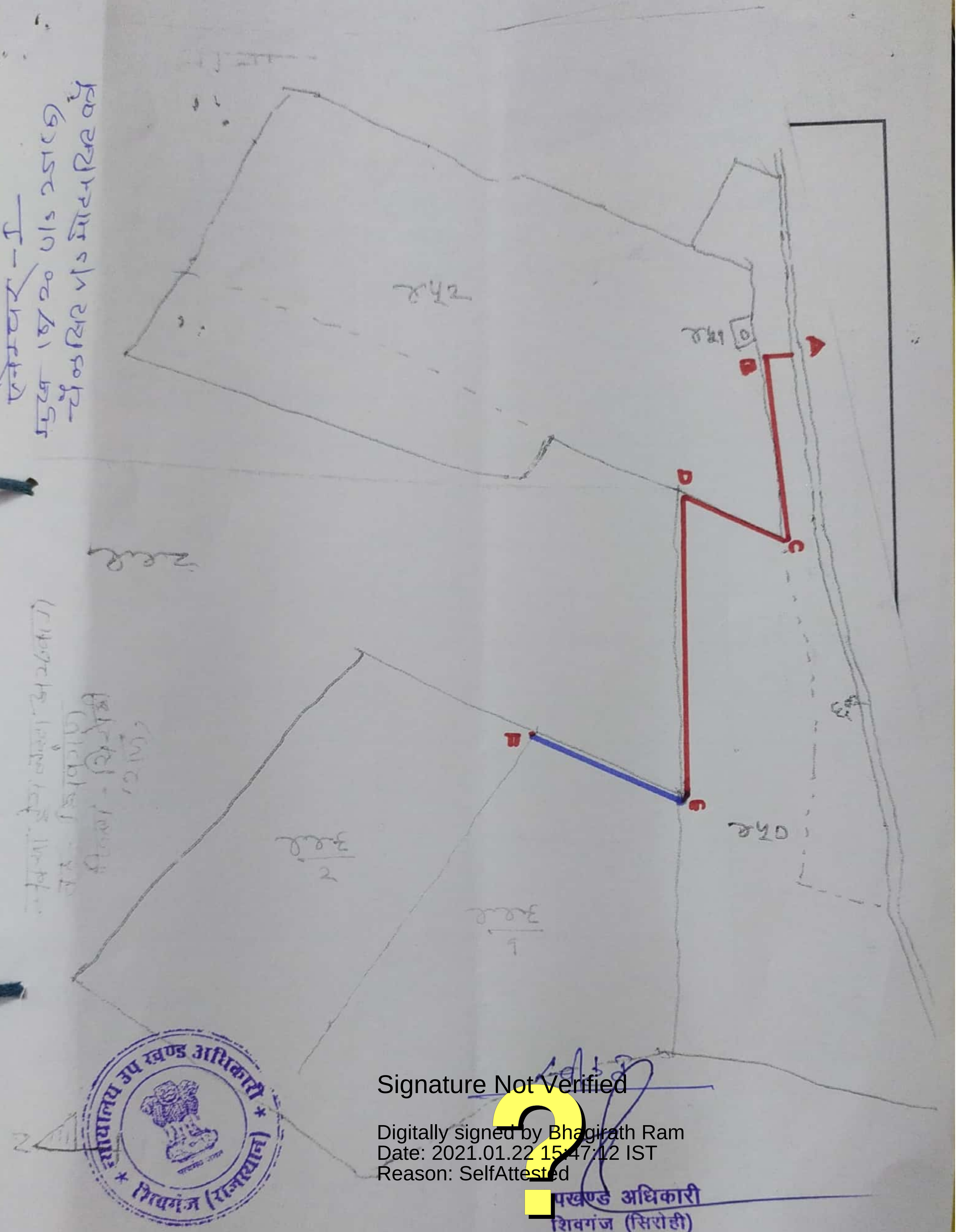

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2021.01.22 15:47:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner